

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2013 को “विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर” के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिन्दुवार प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिये :-

1. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5358, दिनांक 29.11.13 द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं बिजली कम्पनी के मध्य बिजली बिल से संबंधित समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को समाहरणालय परिसर में कैम्प आयोजित करने का निदेश दिया गया है। अतः उपरोक्त विभागीय पत्र में दिए गए निदेश के निमित्त सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ कैम्प के पूर्व कार्यपालक अभियंता निश्चित रूप से पूर्ण करा लेंगे।
2. विभागीय निदेशानुसार दिनांक 28.11.13 एवं 29.11.2013 को जिलान्तर्गत नगर क्षेत्र में नए विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों की संख्यात्मक विवरणी निम्न प्रकार बताई गई :-

क्र०	नगर क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की सं०	विद्युत सम्बन्ध निष्पादित आवेदन की सं०	प्रतिशत
1	मुंगेर	552	80	14.50 %
2	जमालपुर	413	98	23.72 %
3	तारापुर	450	89	19.78 %
4	खड़गपुर	173	39	22.54 %
	कुल	1588	306	19.27 %

बैठक अवधि में ही उपस्थित पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से पुनः नगर क्षेत्र में नए विद्युत कनेक्शन हेतु दिनांक 18.12.2013 की तिथि निर्धारित की गई। साथ ही सभी कनीय विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि दिनांक 28.11.13 एवं 29.11.13 को आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से कर लेंगे, अन्यथा अनुपालन नहीं किए जाने वाले कनीय अभियंता के विरुद्ध निलम्बन/संविदासुप्त करने की अनुशंसा विभाग को भेज दी जाएगी।

3. सफियाबाद में 10MVA का उपलब्ध कराए गए ट्रांसफॉर्मर का अधिष्ठापन अब तक नहीं हो पाने के कारण पुनश्च कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त ट्रांसफॉर्मर के installation हेतु सक्षम पदाधिकारी को स्मार पत्र भेजें।
4. पूर्व बैठक में निदेश दिया गया था कि नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक फीडरवार विद्युत विपन्न तैयार करते हुए वसूली की जाए ताकि फीडरवार वसूली के समानुपात में विद्युत आपूर्ति की जा सके। इसके अनुपालन की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि जिले के कुल 29 फीडरों में से अधिकांश विद्युत अभियंता द्वारा फीडरवार वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इस निमित्त पुनश्च निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता अभिरुचि लेते हुए संबंधित विद्युत अभियंताओं से माह नवम्बर, 2013 तक फीडरवार मांग एवं वसूली से संबंधित प्रतिवेदन आगामी साप्ताहिक बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे। विदित हो कि वर्तमान में जिला में कुल 29 फीडर कार्यरत हैं जिसमें मुंगेर में 10, जमालपुर में 12, तारापुर में 04 एवं खड़गपुर में 03 फीडर हैं।
5. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में विद्युत कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए विद्युत बिल जमा लेने एवं नए कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र लेने हेतु काउण्टर का अधिष्ठापन बरियारपुर, टेटियाबंजर एवं

संग्रामपुर में अबतक नहीं कराया जाना चिंत्नाजनक है। अतः कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अपनी देख-रेख में हर हाल में दिनांक 10.12.13 तक उपरोक्त प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में काउण्टर का संचालन सुनिश्चित कराएँगे। संबंधित कनीय अभियंता इस कार्य के लिए विशेष रूप से जवाबदेह होंगे।

6. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यान्वित मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत् कर्मियों की संख्या यथावत् है, जो निम्न है :-

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	30
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	12
4	Kharagpur	1	10
Total		16	76

7. विभागीय निदेश के अनुसार मीटर रीडिंग का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में रखा गया है जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र, वाणिज्य उपभोक्ताओं (LTIS-1) तथा बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं (LTIS-2) की शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग करना है। पुनः निदेश दिया गया कि मीटर रीडिंग एजेन्सी एवं कार्यरत् कर्मियों के कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए, ताकि मीटर रीडिंग की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी के साथ शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित की जा सके।
8. विदित हो कि पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी माननीय विधायको, वार्ड पार्षदों से प्राप्त पुराने एवं नये ट्रांसफॉर्मरों के अधिष्ठापन कराए जाने वाले स्थलों की सूची अनुमोदित करते हुए कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया गया था, जिसके संदर्भ में कार्य० अभि० ने आवश्यकत किया कि सहायक विद्युत अभियंता, खड़गपुर द्वारा दिनांक 29.11.13 को उपलब्ध कराए गए 08 ट्रांसफॉर्मरों का प्राक्कलन जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर के समक्ष स्वीकृति हेतु इस सप्ताह भेज दी जाएगी। पुनः कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उपलब्ध कराए गए सूची के आधार पर 16KVA तथा 25KVA के बदलने वाले ट्रांसफॉर्मरों के स्थलों को चिन्हित करते हुए उन स्थलों पर आवश्यकतानुसार 63KVA अथवा 100KVA के ट्रांसफॉर्मर का प्राक्कलन संबंधित विद्युत अभियंता से यथाशीघ्र प्राप्त कर जिला योजना कार्यालय को भेजते हुए उसकी अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपस्थापित करेंगे।
9. समीक्षा के क्रम में कार्य० अभि० द्वारा अवगत कराया गया कि 10,000/- रुपये से उपर कुल 15421 विद्युत विपन्न बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध माह नवम्बर, 2013 में 356 एवं अबतक 1622 उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध विच्छेद किया गया है। साथ ही बकायेदार 15421 उपभोक्ताओं में से 3984 उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा कर दिया गया है, जिससे अब कुल बकायेदार उपभोक्ताओं की संख्या 9815 रह गई है जिसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। कार्य० अभि० को निदेशित किया गया कि विभागीय अधिवक्ता को भी आगामी बैठक में भाग लेने के लिए सूचित करें।
10. निर्णय लिया गया कि चेंकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध किया जाए।


11. **Reconducturing:-** विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा जानकारी दी गई कि इस माह के अन्त तक 619 कि०मी० में से अबतक कुल 342 कि०मी० एवं नवम्बर, 2013 में 18KM ही Reconducturing का कार्य ही किया जा सका है। विद्युत अनुमंडल कार्यालयवार संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	विद्युत अनुमंडल कार्यालय	लक्ष्य (कि०मी०)	अक्टूबर, 2013 तक	नवम्बर, 2013 में	कुल Reconducturing	प्रतिशत
1	मुंगेर	60	41.12	6.0	47.12	78.53%
2	जमालपुर	237	119.16	7.2	126.36	53.32%
3	तारापुर	190	121.71	5.0	126.71	66.69%
4	खड़गपुर	132	41.71	1.5	43.21	32.73%
कुल		619	323.70	19.7	343.40	55.48%

विदित हो कि विभाग द्वारा प्रदत्त निदेशानुसार प्रत्येक माह कम-से-कम 25 कि०मी० Reconducturing किया जाना है। कार्य० अभि० द्वारा आवश्यक किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप Reconducturing कार्य सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा दिसम्बर माह के द्वितीय सप्ताह तक लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

12. कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विद्युत बिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों का निष्पादन नियमित रूप से करते हुए प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. विद्युत connection लेने वाले नए उपभोक्ताओं की सुगमता हेतु समय-समय पर शिविर लगाने का निदेश दिया गया।
14. शहरी क्षेत्रों, यथा- मुंगेर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर में 100% मीटर रीडिंग एवं नए कनेक्शन दिए जाएँ। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगा।
15. कार्य० अभि० द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23.11.13 को आयोजित लोक अदालत में विद्युत से संबंधित 57 नीलाम पत्र वाद तथा उर्जा चोरी से संबंधित 56 मामलों का निष्पादन किया गया है जिससे कुल 3.72 लाख रु० राजस्व की प्राप्ति हुई है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...2436...../गो०, दिनांक...05/12/2013

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य०अभि० विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कार्य०अभि०, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...2436...../गो०, दिनांक...05/12/2013

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लि०, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।